विगत 5 वर्षो में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बजट भाषण में महत्वपूर्ण अंशों का विश्लेषण

क्रम.सं	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14
1	पार्टी के घोषणा–पत्र को हमारी नीतियों का आधार बनाया जाये। प्रदेश की जनता से हमनें एक पारदर्शी, संवेदनशील तथा जवाबदेह प्रशासन का वायदा किया था।	इस अवसर पर, मैं राज्य की जनता का आभार प्रकट करता हूँ और सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमसे जो अपेक्षायें एवं आकांक्षायें की गई हैं उन पर खरा उतरने की हम पूरी चेष्टा करेंगे।	वर्ष 2010–11 हमारे राज्य के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण रहा है। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, हमारी सरकार की मंशा जटिल एवं उलझे हुए मुद्दों को भी शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की रही है। हमने संवाद और संचार की सतत् प्रक्रिया द्वारा सभी समुदायों के बीच समरसता बनाये रखने का प्रयास किया है। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के गंभीर मुद्दों का हमने धैर्य और समझ से निपटारा किया है। सभी पक्षों के लिए आदर और सम्मान के साथ हम ऐतिहासिक समझौते तक पहुँचे हैं। यह सब कुछ बिना जन–हानि, शांति और समरसता को बाधा पहुँचाये हासिल हुआ।		हमारी सरकार द्वारा शासन सँभालते ही पार्टी के घोषणा पत्र के अनुरूप नीतियों का निर्धारण करते हुए विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया। मुझे यह कहते हुए हर्ष है कि पिछले चार वर्षों में हमनें, सबके सहयोग से, किये गये वायदों को पूरा किया है। इस दौरान हमनें राज्य के आर्थिक विकास के साथ–साथ समाज के सभी वर्गों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए अनेक योजनायें क्रियान्वित कीं, जिनके आशातीत परिणाम प्राप्त होने लगे हैं।
2	मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी सरकार, ऐसे कदम उठायेगी जिनसे प्रदेशवासियों को मंदी की मार नहीं झेलनी पड़ेगी। अतः यह बजट आम आदमी, ग़रीब और गाँवों को समर्पित है।	प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु निम्नलिखित कार्ययोजनाएं प्रस्तावित हैं:– (i) जनता से जुड़े हुए राजकीय विभागों एवं निकायों में शिकायतों, अभाव अभियोगों के पंजीकरण एवं निराकरण हेतु कंप्यूट्राईज्ड सिस्टम लागू किया जाना; (ii) अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक एवं अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, वंचितों एवं महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु विशेष प्रयास; (iii) प्रशासन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सूचना के अधिकार को और प्रभावी ढंग से लागू करवाना तथा विभागीय वेबसाइटों एवं अन्य	हमने बजट में योजना के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति **(SC/ST)** घटकों हेतु, गत् वर्ष की बजट घोषणा के अनुसरण में, आगामी वर्ष के बजट में क्रमशः 16.66 प्रतिशत तथा 13.02 प्रतिशत का, नोशनल फ्लो के बजाय, वास्तविक प्रावधान संबंधित विभागों के बजट मदों में अलग से इंगित किया है। मैं आशा करता हूँ कि इस व्यवस्था के परिणामस्वरूप हम यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति **(SC/ST)** के कल्याण हेतु वास्तविक व्यय निर्धारित अनुपात में किया जा रहा है। एक और खास बात जो बजट के		हमनें, राज्य की आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने के साथ–साथ समावेशी विकास **(inclusive growth)** की अवधारणा को पूरा करने की दृष्टि से समाज के वंचित समूहों **(disadvantaged groups)** जैसे बीपीएल, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, विशेष योग्यजन, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया है। आमजन के सशक्तीकरण **(empowerment)** की दृष्टि से हमनें **Right to Hearing Act-2012** तथा **Guaranteed Services Delivery Act-2011** जैसे कानून बनाये हैं।

		माध्यमों से सरकार के महत्त्वपूर्ण निर्णयों को सार्वजनिक करना; (iv) सभी प्रकार के राजकीय भुगतान नकद में नहीं किये जाकर बैंक अथवा डाकघर के खातों के माध्यम से किया जाना; (v) डिलिवरी ऑफ सर्विसेज़ में नवाचार के लिए 5 करोड़ रुपये का कोष गठित करना; (vi) राज्य कर्मचारियों एवं अधिकारियों के स्थानान्तरण हेतु एक स्पष्ट नीति बनाना; (vii) महत्त्वपूर्ण पत्रावलियों एवं विचाराधीन पत्रों के निस्तारण हेतु समय सीमा निर्धारित करना एवं इस सीमा की पालना सुनिश्चित करना; (viii) जन अभाव अभियोग निराकरण आयोग का गठन करना, ताकि लोकसेवकों से संबंधित शिकायतों पर निश्चित समयावधि में कार्रवाई हो सके; (ix) सतर्कता व्यवस्था को अधिक प्रभावशाली बनाना; एवं (x) विभिन्न विभागों में समन्वय के माध्यम से डाटाबेस तैयार करना एवं योजनाओं की क्रियान्विति एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया को सुदृढ़ करना।	बारे में कही जा सकती है, वह यह है कि, पाँच विभागों से संबंधित शक्तियों के हस्तांतरण के उपरांत राशियों का आवंटन भी पंचायती राज संस्थाओं के अधीन बजट मद में ही दिखाया गया है। यह प्रक्रिया योजना और गैर–योजना दोनों प्रावधानों के लिए अपनाई गई है। इसके पीछे मंशा यह है कि यह हस्तांतरण स्पष्ट और निर्णायक हो। इसके अतिरिक्त, पंचायती राज संस्थाओं को निर्बंध राशि **(untied fund)** उपलब्ध कराई जायेगी, ताकि ये संस्थायें अपनी स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें।		अभाव अभियोगों के त्वरित निस्तारण हेतु ई–सुगम पोर्टल का निर्माण किया है। प्रशासन में सुधार व जवाबदेही लाने तथा पारदर्शिता के उद्देश्य से हमनें **Rajasthan Transparency in Public Procurement Act-2012** लागू किया है। मुख्यमंत्री, मंत्रियों व अधिकारियों की संपत्ति को सार्वजनिक करने के साथ–साथ विशेष न्यायालय अधिनियम–2011 को लागू किया है, जो कि भ्रष्टाचार को रोकने में मील का पत्थर साबित होगा।